

कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)- 490024

(पूर्व नाम- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग,छ.ग.)

क्रमांक/क्रय/अधि./सीसीएमजीएमसी/25-26.....8197

दुर्ग, दिनांक 25/11/25

// द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति //


चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग में पूर्व स्थापित वायरोलॉजी लैब के उपयोगी मशीनों/उपकरणों के मरम्मत एवं दुरुस्ती कार्य हेतु " जहां है जैसा है " के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

No.	Equipment Name	Number of Equipments	Make
01.	Plate Centrifuge	1	DHIR
02	Real Time PCR CFX96 Touch	1	BIORAD
03	PCR Work Station	1	ACCO
04	Horizontal Laminar Air Flow	1	CLEAN AIR
05	Laminar Air Flow Bench	1	
06	Deep Freeze	1	WIST
07	Biosafty Cabinet Class-II	1	ACCO
08	Centrifuge	1	REMI
09	Ultra Low Freezer (-80°C)	1	WIST
10	Auto Clave	1	ARKO
11	Biosafty Cabinet Class-IIA2	1	CLAEN AIR
12	LER-Dep-Dry Bath Incubator	1	LABINE
13	Remi Cyclo Mixture CM-10	1	REMI

नियम एवं शर्त :-

01. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
02. निविदा के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।
03. मरम्मत एवं दुरुस्ती हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करना होगा। "जहां है जैसा है" के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।
04. मरम्मत/दुरुस्ती का दर मशीनों की वर्तमान अवस्था का अवलोकन करने के उपरांत ही उल्लेखित करें।

05. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं रहेगा ।
06. उक्त मरम्मत/दुरूस्ती कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत/अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाइडर उक्त रूचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं ।
07. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट प्रदाय करनी होगी जो कि संबंधित विभागाध्यक्ष से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
08. संबंधित विभागाध्यक्ष से मरम्मत/दुरूस्ती कार्य के सत्यापन उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।
09. अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेंगे ।


अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)